This is a digitally signed Gazette, to verify click here.
http://rajpatrahimachal.nic.in

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

बुधवार, 17 जून, 2020 / 27 ज्येष्ठ, 1942

हिमाचल प्रदेश सरकार

उद्योग विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 11 जून, 2020

संख्याः इण्ड–ए(ईन्व0 सैल)ए(3)–1/2019.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रचालन का सरलीकरण) अधिनियम, 2019 (2020 का अधिनियम संख्यांक 1) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**——(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रचालन का सरलीकरण) नियम, 2020 है।

(2) ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **परिभाषाएं.**——(1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''अधिनियम'' से, हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रचालन का सरलीकरण) अधिनियम, 2019 (2020 का अधिनियम संख्यांक 1) अभिप्रेत है;

(ख) ''वाणिज्यिक प्रचालन का प्रारम्भ'' से, वह तारीख अभिप्रेत है, जिस से उद्यम इन नियमों के अधीन दिए गए आशय की घोषणा से, संबंधित विनिर्मित वस्तुओं के विक्रय या आपूर्ति या बीजक या कर बीजक का या दी गई सेवाओं का पहला बिल जारी करता है;

(ग) ''आशय की घोषणा'' से, अधिनियम की धारा 5 के अधीन उद्यम द्वारा सूचना प्रस्तुत करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में इन नियमों से संलग्न ''प्ररूप–I'' में एक दस्तावेज अभिप्रेत है; और

(घ) ''धारा'' से, अधिनियम की धारा अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इन नियमों में प्रयुक्त हैं, और परिभाषित नहीं हैं, परन्तु अधिनियम में परिभाषित किए गए हैं, के वही अर्थ होंगे जो अधिनियम में क्रमशः उनके हैं।

3. **'आशय की घोषणा' प्रस्तुत करने की प्रक्रिया.**——(1) अधिनियम के अधीन अभिस्वीकृति प्रमाण–पत्र चाहने वाला प्रत्येक उद्यम पोर्टल पर इलेक्ट्रॉनिक रूप में नोडल एजेंसी को इन नियमों से संलग्न 'प्ररूप–I' में सम्यक् रूप से भरी गई 'आशय की घोषणा' प्रस्तुत करेगा।

(2) उद्यम 'आशय की घोषणा' के साथ हिमाचल प्रदेश नगर एवं ग्राम योजना विभाग, के साथ रजिस्ट्रीकृत वास्तुकार द्वारा प्रमाणित प्रस्तावित भवन का एक नक्शा अपलोड करेगा।

(3) 'आशय की घोषणा' निम्नलिखित द्वारा प्रस्तुत की जा सकेगी,–

(क) स्वामी के अधीन उद्यम की दशा में, स्वत्वधारी;

(ख) भागीदारी उद्यम की दशा में, प्राधिकृत भागीदार; और

(ग) उद्यमों या कंपनी के अन्य रूपों की दशा में, प्राधिकृत व्यक्ति।

स्पष्टीकरण.——इन नियमों के प्रयोजन के लिए, किसी उद्यम में वे उद्यम सम्मिलित होंगे, जहां क्षमता या आधुनिकीकरण या विचलन के विस्तार के प्रयोजन के लिए संयंत्र और मशीनरी के मूल्य में 25 प्रतिशत से अन्यून की वृद्धि नहीं की जाती है और जिसे विभाग द्वारा अभिलेख में लिया गया हो।

4. **अभिस्वीकृति प्रमाण–पत्र प्रदान करने की प्रक्रिया.**——सर्वथा सम्पूर्ण 'आशय की घोषणा' की प्राप्ति पर 'अभिस्वीकृति प्रमाण–पत्र' इन नियमों से संलग्न ''प्ररूप–2'' में नोडल एजेंसी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रपत्र में प्रदान किया जाएगा, जिसमें 'आशय की घोषणा' की प्राप्ति की तारीख और अभिस्वीकृति प्रमाण–पत्र की विधि मान्यता की अवधि दर्शायी गई हो।

5. **नोडल एजेंसी के कृत्य.**——(1) नोडल एजेंसी, अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए समन्वय और कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कार्य करेगी।

(2) निदेशक, इन नियमों के अधीन उद्यमों की शिकायतों और प्रश्नों को प्राप्त करेंगे और उनका निवारण भी करेंगे और यदि आवश्यकता हो तो सक्षम प्राधिकारी के साथ उनके विवाद्यकों को भी सरल बनाएंगे।

(3) निदेशक, अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक पोर्टल का अनुरक्षण करेगा और आशय की घोषणा और अभिस्वीकृति प्रमाण–पत्र का अभिलेख रखेगा।

(4) नोडल एजेंसी, अभिस्वीकृति प्रमाण–पत्र जारी करने पर आशय की घोषणा और उद्यम का अभिस्वीकृति प्रमाण–पत्र सक्षम प्राधिकारी को अग्रेषित करेगी।

आदेश द्वारा,

राम सुभग सिंह,
अतिरिक्त मुख्य सचिव (उद्योग)।

————————

प्ररूप–I

(नियम 3 देखें)

आशय की घोषणा

आवेदक का व्यक्तिगत विवरण

1.	आवेदक का नाम	
2.	पिता का नाम	
3.	लिंग (पुरूष / महिला / अन्य)	
4.	आवेदक की आधार संख्या	
5.	मोबाईल नम्बर	
6.	टेलीफोन नम्बर	
7.	ई–मेल आई डी	
8.	पत्राचार का पता	
उद्यम की सूचना		
9.	उद्यम का नाम	
10.	संगठन का प्ररूप (सांपात्तिक / भागीदारी / कम्पनी प्राईवेट लिमिटिड / पब्लिक लिमिटिड / एलएलपी / अन्य)	
11.	पैन नम्बर	
12.	उद्यम के प्रमुख क्रियाकलाप / प्रदान की जाने वाली सेवा	
13.	उद्यम की श्रेणी (सूक्ष्म / लघु / मध्यम)	
14.	इकाई का प्रकार (नई / विस्तारित)	
उद्यम के विनिर्माण / सेवा कार्यकलाप की अवस्थिति		
15.	प्लॉट नम्बर / खसरा नम्बर / भवन नम्बर	
16.	परिसर / भवन का नाम (यदि लागू हो)	
17.	सड़क / गली / लेन	
18.	गांव / कस्बा / शहर	
19.	तहसील	
20.	जिला	
21.	पिन कोड	
22.	कृपया रजिस्ट्रीकृत वास्तुकार द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित प्रस्ताव / परियोजना / उद्यम के निर्माण की योजना अपलोड करें [नीचे (v) पर घोषणा के अनुसार]	

घोषणा

मैं .... पुत्र .... आयु .... निवासी .... यह कथन करता हूं कि मैं मैसर्ज .... का प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता हूं और एतद् द्वारा निम्नलिखित घोषणा करता हूं और वचन देता हूं कि:——

(i) मैं प्रमाणित करता हूं कि हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रचालन का सरलीकरण) अधिनियम, 2019 के अधीन आशय की घोषणा में दी गई सूचना और तद्धीन बनाए गए नियम मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, सही और पूर्ण हैं और कोई भी महत्वपूर्ण सूचना छुपाई नहीं गई है।

(ii) मेरे द्वारा हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रचालन का सरलीकरण) अधिनियम, 2019 और तद्धीन बनाए गए नियमों को पढ़ लिया गया है और मैं उनका पालन करने का वचन देता हूं। उपरोक्त विवरण में परिवर्तन की दशा में, शीघ्रातिशीघ्र नोडल एजेंसी को सूचित किया जाएगा।

(iii) मैं उद्यम जो एक नव उद्यम है के लिए आशय की घोषणा प्रस्तुत कर रहा हूं।

(iv) मैंने आशय की घोषणा में उद्यम के विनिर्माण / सेवा कार्यकलाप की अवस्थित यथावर्णित भूमि या भवन या परिसर के लिए अभिस्वीकृति प्रमाण–पत्र का पूर्व में उपयोग नहीं किया है।

(v) मैं यह वचन देता हूं कि उद्यम स्थापित करने के लिए भवन / संरचना की प्रस्तुत भवन योजना, नगर एवं ग्राम योजना विभाग, हिमाचल प्रदेश के साथ रजिस्ट्रीकृत वास्तुकार द्वारा तैयार की गई है और यह हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 और तद्धीन बनाए गए नियमों के अनुसार है।

(vi) मैं कर्मकारों या कर्मचारियों की सुरक्षा और स्वास्थ्य सुनिश्चित करने हेतु उद्यम के प्रचालन में सुरक्षा मानकों का अनुरक्षण करूंगा।

(vii) मैं ऐसी किसी भी विनिर्माण या सेवा कार्यकलाप में शामिल नहीं होऊंगा जो किसी भी विधि के अधीन निषिद्ध है या जो सार्वजनिक स्वास्थ्य या कानून और व्यवस्था के लिए गंभीर खतरा पैदा कर सकता हो।

(viii) मैं राज्य में उद्यम स्थापित करने हेतु प्रवृत्त विद्यमान अधिनियमों / नियमों / आदेशों / अनुदेशों के उपबन्धों से भली भान्ति अवगत हूं और इन समस्त लागू अधिनियमों / नियमों / आदेशों / अनुदेशों का पालन करूंगा।

(ix) मैं अभिस्वीकृति प्रमाण–पत्र जारी होने की तारीख से तीन वर्ष के भीतर या उद्यम के वाणिज्यिक उत्पादन / प्रचालन के प्रारंभ से पूर्व, जो भी पूर्वतर हो, सभी अपेक्षित मंजूरी / अनुमोदन प्राप्त करूंगा।

(x) मैं यह भी घोषणा करता हूं कि यदि उद्यम अधिनियम की किसी भी अपेक्षा का पालन करने में विफल रहता है, तो सुसंगत विधि द्वारा या उसके अधीन यथा अपेक्षित कार्रवाई उद्यम के विरूद्ध की जा सकेगी।

स्थान :

तारीख :

प्ररूप–2

(नियम 4 देखें)

अभिस्वीकृति प्रमाण–पत्र

मैसर्ज.. द्वारा हिमाचल प्रदेश सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम (स्थापना और प्रचालन का सरलीकरण) अधिनियम, 2019 के अधीन श्री / श्रीमती / अन्य .... (नाम और प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता का पदनाम) के माध्यम से .... (विनिर्माण / सेवा) उद्यम स्थापित करने / विस्तारित करने हेतु आशय की घोषणा दर्ज की गई है।

उद्यम के लिए आशय की घोषणा की रसीद निम्नलिखित विवरणों के साथ स्वीकार की जाती हैः

अभिस्वीकृति विवरण

1.	अभिस्वीकृति संख्या	
2.	अभिस्वीकृति की तारीख (.................. तक विधिमान्य या उद्यम के वाणिज्यिक उत्पादन / प्रचालन के प्रारंभ की तारीख, जो भी पूर्वतर हो)	
3.	उद्यम का नाम	
4.	संगठन का प्ररूप	
5.	पत्राचार का पता	
6.	उद्यम के विनिर्माण / सेवा कार्यकलाप की अवस्थिति	
7.	उद्यम की श्रेणी	
8.	उद्यम के प्रमुख क्रियाकलाप / प्रदान की जाने वाली सेवा	

1. अभिस्वीकृति प्रमाण–पत्र उक्त अधिनियम की धारा 5 के उपबन्धों के अधीन जारी किया गया है।

2. उक्त अधिनियम और तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अध्यधीन, यह उद्यम को अधिकार देता हैः

   (क) अधिनियम की अनुसूची में यथा निगमित राज्य विधियों के अधीन अनुमोदन से छूट।

   (ख) कोई भी सक्षम प्राधिकारी अधिनियम की अनुसूची में यथा निगमित राज्य विधियों के अधीन किसी भी अनुमोदन के प्रयोजन या के संबंध में कोई निरीक्षण नहीं करेगा।

(जारीकर्ता प्राधकारी का पद)

[*Authoritative English text of this Department Notification No. Ind.- A(Inv.Cell)A(3)-1/2019, dated 11th June, 2020 as required under clause (3) of Article 348 of the Constitution of India]*

INDUSTRIES DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th June, 2020

No. Ind-A(Inv.Cell)A(3)-1/2019.—In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Himachal Pradesh Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Act, 2019 (Act No.1 of 2020), the Governor of Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely:—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Himachal Pradesh Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Rules, 2020.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Definitions.—(l) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Himachal Pradesh Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Act, 2019 (Act No. 1 of 2020);

(b) "Commencement of Commercial Operation" means the date on which the enterprise issues the first bill of sale or supply or invoice or tax invoice, of the goods manufactured or services rendered relating to Declaration of Intent furnished under these rules;

(c) "Declaration of Intent" means a document in “Form-I”, appended to these rules in electronic format, for furnishing the information by the enterprise under section 5 of the Act; and

(d) “section” means section of the Act.

(2) Words or expressions used in these rules and not defined but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Procedure for furnishing ‘Declaration of Intent’.—(1) Every enterprise seeking Acknowledgment Certificate under the Act shall furnish a duly filled ‘Declaration of Intent’ to the Nodal Agency in “Form-I” appended to these rules, electronically on the portal.

(2) The enterprise shall upload a map of the proposed building certified by an architect registered with the Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh, alongwith the ‘Declaration of Intent’.

(3) The ‘Declaration of Intent’ may be submitted by,—

(a) the Proprietor, in case of proprietary enterprise;

(b) the authorized partner in case of partnership enterprise; and

(c) the authorized person in case of other forms of enterprises or company.

Explanation.—For the purpose of these rules, an enterprise shall include the enterprises, where an increase by not less than twenty five percent is done in the value of the plant and machinery for the purpose of expansion of capacity or modernization or diversification and taken on record by the department.

4. Procedure for grant of Acknowledgement Certificate.—On the receipt of 'Declaration of Intent' complete in all respects, the 'Acknowledgment Certificate' shall be granted in electronic format by the Nodal Agency in "Form-II" appended to these rules, stating the date of receipt of 'Declaration of Intent' and the period of validity of Acknowledgment Certificate.

5. Functions of the Nodal Agency.—(1) The Nodal Agency shall act as the coordinating and implementing agency for carrying out the purposes of the Act.

(2) The Director shall receive and address the grievances and queries of enterprises under these rules, including facilitation of their issues with the Competent Authority, in case needed.

(3) The Director shall maintain the electronic portal for carrying out the purposes of the Act and keep record of Declaration of Intent and the Acknowledgment Certificate.

(4) The Nodal Agency shall, on issuance of Acknowledgment Certificate, forward the Declaration of Intent and the Acknowledgment Certificate of enterprise to the Competent Authority.

By order,

RAM SUBHAG SINGH,
Addl. Chief Secretary (Industries).

FORM-I
(*See* rule 3)
Declaration of Intent

Personal details of Applicant

1.	Name of Applicant	
2.	Father's Name	
3.	Gender (Male/Female/Others)	
4.	Aadhaar Number of applicant	
5.	Mobile Number	
6.	Telephone Number	
7.	Email id	
8.	Correspondence address:	

Enterprise Information		
9.	Name of the Enterprise	
10.	Type of Organization (Proprietary/ Partnership/ Company Private Limited/ Public Limited/ LLP/ Others).	
11.	PAN Number	
12.	Major Activities of Enterprise/ Services to be provided	
13.	Category of Enterprise (Micro/ Small/ Medium)	
14.	Type of Unit (New/Expanded)	
Location of Manufacturing/Service Activity of Enterprise		
15.	Plot No. /Khasra No./Building No.	
16.	Name of premise/building (in case applicable)	
17.	Road/Street/Lane	
18.	Village/Town/City	
19.	Tehsil	
20.	District	
21.	PIN Code	
22.	Please upload the building plan of the proposal/project/enterprise duly certified by the registered architect [as per declaration (v) below]	

Declaration

I …………………………....... s/o …………………......... Aged……………......residing at ………... state that I am authorized signatory of M/s ………………………………..,and hereby give the following declaration and undertake that:—

(i) I certify that the information furnished in Declaration of Intent under the Himachal Pradesh Micro, Small and Medium Enterprise (Facilitation of Establishment and Operation) Act, 2019 and the rules made there under is true, correct and complete to the best of my knowledge and belief and no material information has been concealed.

(ii) I have read the Himachal Pradesh Micro, Small and Medium Enterprise (Facilitation of Establishment and Operation) Act, 2019 and the rules made there under and undertake to abide by them. In case of changes in above details, the same will be intimated to the Nodal Agency at the earliest.

(iii) I am furnishing the Declaration of Intent for the enterprise which is a new enterprise.

(iv) I have not previously availed the Acknowledgement Certificate for the land or building or premises as mentioned in 'Location of Manufacturing/Service Activity of Enterprise' in Declaration of Intent.

(v) I undertake that the submitted building plan of the building/structure for establishing the enterprise has been prepared by an architect registered with the Town and Country Planning Department, Himachal Pradesh and the same is as per the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 and rules framed thereunder.

(vi) I will maintain the safety standards in operation of the enterprise to ensure safety and health of the workers or employees.

(vii) I will not engage in any manufacturing or service activity which is prohibited under any law or which may pose serious threat to public health or law and order.

(viii) I am well aware of provisions of existing Acts/Rules/Orders/Instructions in force for setting up of an enterprise in the State and will abide by all these applicable Acts/Rules/Orders/Instructions.

(ix) I will obtain all requisite clearances/approvals within three years from the date of issuance of Acknowledgement Certificate or before the commencement of commercial production/operation, whichever is earlier.

(x) I further declare that in case the enterprise fails to adhere to any of the requirements of the Act, action as required by or under the relevant Law may be initiated against the enterprise.

Place:

Date:

FORM-II
(*See* rule 4)

Acknowledgment Certificate

M/s ____ has filed a Declaration of Intent through Sh./Smt./others______________________________ (name and designation of authorized signatory), under the Himachal Pradesh Micro, Small and Medium Enterprises (Facilitation of Establishment and Operation) Act, 2019 to set up/expand a____________________ (Manufacturing/Service) enterprise.

The receipt of the Declaration of Intent for the enterprise is hereby acknowledged with following details:

Acknowledgment Details

1. Acknowledgment Number

2. Date of Acknowledgment (valid upto............ or the date of commencement of commercial production/operation, whichever is earlier).

3. Name of the Enterprise

4. Type of Organization

5. Correspondence address

6. Location of Manufacturing/Service Activity of Enterprise

7. Category of Enterprise

8. Major Activities of Enterprise/Services to be provided

1. The Acknowledgement Certificate is issued under the provisions of Section 5 of the said Act.

2. Subject to provisions of the said Act and the rules made thereunder, it entitles the enterprise:

    (a) Exemption from approvals under the State Laws as incorporated in SCHEDULE of the Act.

    (b) No Competent authority shall undertake any inspection for the purpose of, or in connection with, any approval under the State Laws as incorporated in SCHEDULE of the Act.

(Designation of the Issuing Authority).

[Authoritative English text of this Department Notification No.PBW-A-A(3)-8/2018, Dated 11th June, 2020, as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th June, 2020

No. PBW-A-A(3)-8/2018.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Rules, further to amend the Himachal Pradesh, Public Works Department, Private Secretary, Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 2004 notified *vide* this department notification No.PBW-A-A(3)-1/2001, dated 25-10-2004, namely:—

1. Short title and Commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Public Works Department, Private Secretary, Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion (2nd Amendment) Rules, 2020.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-"A".—In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Public Works Department, Private Secretary, Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 200,—

(a) For the existing provisions against column No.4, the following shall be substituted, namely:—

"Pay band ₹ 15600—39100+ ₹ 5400/- Grade Pay "

(b) For the existing provision against Column No. 5, the following shall be substituted, namely—

"Non- Selection "

(c) For the existing provision against Column No. 11, the following shall be substituted, namely:—

"By promotion from amongst the Personal Assistant (s) possessing 05 (Five) years' regular service or regular combined wrth continuous *adhoc* service, rf any, in the grade, failing which by promotion from amongst the Personal Assistant (s) possessing 14 (Fourteen) years' regular service or regular combined with continuous *adhoc* service, if any, as Personal Assistant and Senior Scale Stenographer combined which shall also include 02 (two) years essential service as Personal Assistant, failing both by promotion from amongst the Personal Assistant (s) possessing 19 (nineteen) years' regular service or regular combined with continuous *adhoc* service, if any as Personal Assistant, Senior Scale Stenographer & Junior Scale Stenographer combined which shall also include 02 (two) years essential service as Personal Assistant, failing all by promotion from amongst the Personal Assistant (s) possessing 24 (twenty four) years' regular service or regular combined with continuous *adhoc* service, if any, as Personal Assistant, Senior Scale Stenographer, Junior Scale Stenographer & Steno Typist combined which shall also include 02 (two) years essential service as Personal Assistant":

(l) Provided that for the purpose of promotion every employee shall have to serve at least one term in the Tribar/Difficult/Hard areas and remote/rural areas subject to adequate number of post(s) available in such areas:

Provided further that the proviso (1) *supra* shall not be applicable in the case of those employees who have five years or less service, left for superannuation except posting/transfer in remote/rural area. However, this condition of five years shall not be applicable in cases of Promotion:

Provided further that Offrcer(s)/Officials(s) who have not served atleast one tenure in Tribal/Difflcult/Hard areas and remote/rural areas shall be transferred to such area strictly in accordance with his/her senrority in the respective cadre.

Explanation I.—For the purpose of proviso 1 *supra* the "term" in Tribal/Difficult/Hard areas and remote/rural areas shall mean normally three years or less period of posting in such areas keeping in view the administrattve exigencies/convenience.

Explanation II.—For the purpose of proviso (l) *supra* the Tribal/Difficult Areas shall be as under.—

1. District Lahul & Spiti

2. Pangi and Bharmaur Sub-Division of Chamba District.
3. Dodra Kawar Area of Rohru Sub-Division
4. Pandrah Bis pargana, Munish Darkali and Gram Panchayat Kashapat of Rampur, Tehsil of District Shimla.
5. Pandrah Bis Pargana of Kullu District
6. Bara Bhangal Areas of Baijnath Sub-Division of Kangra District
7. District Kinnaur
8. Kathwar and Korga Patwar Circles of Kamrau, Sub Tehsil Bhaladh and Sangna Patwar Circles of Renukaji Tehsil and Kota Pab Patwar Circle of Shillai, Tehsil in Sirmour District.
9. Khanyol-Bagra patwar circle of Karsog, Tehsil, Gada-Gussaini, Mathyani, Ghanyar, Thachi, Baggi, somgad and kholanal of Bali-chowki Sub-Tehsil Jharwar, Kutgarh, Graman, Devgarh, Trailla, Ropa, Kathog, Shilh-Badhwani Hastpur, Ghamrehar and Bhatehar Patwar Circle of Padhar Tehsil, Chiuni' Kalipar Mangarh, Thach-Bagra, North Magru and South Magru Patwar Circles of Thunag Tehsil and Batwara Patwar Circle of Sundernagar Tehsil in Mandi Drstrict.

Explanation III.—For the purpose of proviso (1) *supra* the Remote/Rural Area shall be as under:—

(i) All stations beyond the radius of 20 Kms. from Sub-Division/Tehsil Headquarter
(ii) All stations beyond the radius of 15 Kms. from State Headquarter and District Headquarters where bus service is not available and on f'oot journey is more than 3 (three) Kms.
(iii) Home town or area adjoining to area of home town within the radius of 20 Kms. of the employee regard less of its category.

(ll) ln all cases of promotion, the continuous *adhoc* service rendered in the feeder post, if any, prior to regular appointment to the post shall be taken into account towards the length of service as prescribed in these Rules for promotion subject to the condition that the *adhoc* appointment/promotion in the feeder category had been made after following proper acceptable process of selection in accordance with the provisions of R&P Rules:

(i) Provided that in all cases where a junior person becomes eligible for consideration by virtue of his/her total length of service (includrng the service rendered on *adhoc* basis followed by regular service/appointment) in the feeder post in view of the provision referred to above all persons senior to him/her in the respective category/post/cadre shall be deemed to be eligible for consideration and placed above the junior person in the field of consideration:

Provided further that all incumbents to be considered for promotion shall possess the minimum qualifying service of atleast three years or that prescribed in the R&P Rules for the post, whichever is less:

Provided further that where a person becomes ineligible to be considered for promotion on account of the requirements of the proceeding proviso, the person(s) junior to him/her shall also be deemed to be ineligible for consideration for such promotion.

Explanation.—The last proviso shall not render the junior incumbent(s) ineligible for consideration for promotion if the senior ineligible person(s) happened to be Ex-serviceman who have joined Armed Forces during the period of ermergency and recruited under the provisions of Rule-3 of the Demobilized Armed Forces Personnel (Reservation of vacancies in Himachal State Non-Technical Service),

Rules, 1972 and having been given the benefit of seniority thereunder or recruited under the provisions of rule-3 of the Ex-serviceman (Reservation of vacancies in the Himachal Pradesh Technical Services) Rules, 1985 and having been given the benefit of seniority there under.

(ii) Similarly, in all cases of confirmation, continuous *adhoc* service rendered on the feeder post, if any, prior to the regular appointment/promotion, against such post, shall be taken into account towards the length of service; if the *adhoc* appointment/promotion had been made after proper selection and in accordance with the provision of the R&P Rules:

Provrded that *inter-se* seniorrty as a result of confirmation after taking into account, *adhoc* service rendered as referred to above shall remain unchanged.

(d) For the existing provision against the Column No. 12, the following shall be substituted, namely: —

"Departmental Promotion Committee Department Confirmation Committee as may be constituted by the Government from time to time.".

(e) For the existing provision against the Column No." 17, the following shall be substituted, namely:—

"Every member of the service shall pass a Departmental Examination as prescribed in the H. P. Departmental Examination Rules, 1997 as amended from time to time.".

By order,

JAGDISH CHANDER SHARMA,
Principal Secretary (PW).

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 11 जून, 2020

संख्याः पी0बी0डब्ल्यू0–ए–ए–(3)–8 / 2018.——हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पी0बी0डब्ल्यू0–ए–ए–(3)–1 / 2001, तारीख 25–10–2004 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, निजी सचिव, वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2004 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :——

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.**——(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, निजी सचिव, वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (द्वितीय संशोधन) नियम, 2020 है।

2. ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. उपाबन्ध ''क'' का संशोधन.——हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, निजी सचिव, वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2004 के उपाबन्ध ''क'' में,——

(क) सतम्भ संख्या 4 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

''पे बैण्ड ₹ 15600—39100 जमा ₹ 5400 / — ग्रेड पे''।

(ख) सतम्भ संख्या 5 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :—

''अचयन''।

(ग) सतम्भ संख्या 11 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा; अर्थात् :—

''निजी सहायक (सहायकों) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो को सम्मिलित करके पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, ऐसा न होने पर निजी सहायक (सहायकों) में से प्रोननति द्वारा जिनका निजी सहायक और वरिष्ठ वेतनमान आशूलिपिक के रूप में संयुक्ततः चोदह वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके चौदह वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें निजी सहायक के रूप में दो वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगी दोनों के न होने पर निजी सहायक (सहायकों) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका निजी सहायक, वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक और कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक के रूप में संयुक्ततः उन्नीस वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके उन्नीस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो, जिसमें निजी सहायक के रूप में दो वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगी, उपरोक्त समस्त के न होने पर निजी सहायक (सहायकों) में से प्रोन्नति द्वारा जिनका निजी सहायक, वरिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक , कनिष्ठ वेतनमान आशुलिपिक और आशुटंकक के रूप में संयुक्ततः चौबीस वर्ष का नियमित सेवाकाल या की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके चौबीस वर्ष का नियमित सेवाकाल हो जिसमें निजी सहायक के रूप में दो वर्ष की अनिवार्य सेवा भी सम्मिलित होगी :

(I) परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को जनजातीय / कठिन / दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्रों में पद (पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगीः

परन्तु दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्र में तैनाती / स्थानांतरण के सिवाय उपर्युक्त परन्तुक (1), उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो। तथापि पांच वर्ष की यह शर्त प्रोन्नति के मामलों में लागू नहीं होगीः

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों / कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय / कठिन / दुर्गम और दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्रों में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा।

स्पष्टीकरण I.—— उपरोक्त परन्तुक (1) के लिए जनजातीय / कठिन / दुर्गम क्षेत्रों और दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्रों में ''कार्यकाल'' से प्रशासनिक अत्यावश्यकताओं / सुविधा को ध्यान रखते हुए साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी।

स्पष्टीकरण II.——उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए जनजातीय / कठिन क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :—

1. जिला लाहौल एवं स्पिति
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप—मण्डल

3. रोहड़ू उप–मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनिश दरकाली और काशापाट
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह परगना
6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप–मण्डल का बड़ा भंगाल क्षेत्र
7. जिला किन्नौर
8. सिरमौर जिला में उप–तहसील कमरऊ के काठवाड़ और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड़ भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त।
9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल–वागडा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप–तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी धनयाड, थाची बागी, सोमगाड और खोलानाल पटवार वृत्त, पद्धर तहसील के झारवाड़, कुटगढ़, ग्रामन, देवगढ़, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह–भड़वानी, हस्तपुर, घमरेड़ और भटेढ़ पटवार वृत्त, भुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ़, थाच–बगड़ा उत्तरी मगरू और दक्षिण मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाड़ा पटवार वृत्त।

स्पष्टीकरण III.––उपरोक्त परन्तुक (1) के प्रयोजन के लिए दूरस्थ / ग्रामीण क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगे :–

(i) उप–मण्डल / तहसील मुख्यालय से 20 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान
(ii) राज्य मुख्यालय और जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की परिधि से परे के समस्त स्थान जहां के लिए बस सेवा उपलब्ध नहीं है और 3 किलोमीटर से अधिक की पैदल यात्रा करनी पड़ती है।
(iii) कर्मचारी का उसके प्रवर्ग को ध्यान में लाए बिना, अपने गृह नगर या गृह नगर क्षेत्र के साथ के साथ लगता 20 किलोमीटर की परिधि के भीतर का क्षेत्र।

(II) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्मरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए इस शर्त के अध्यधीन प्रोन्नति के लिए गणना में ली जाएगी कि सम्भरक (पोषक) प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

(i) परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक (पोषक) पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई सेवा सहित, जो नियमित सेवा / नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्यक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति अपने–अपने प्रवर्ग / पद / काडर में विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी परधारियों की जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगीः

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए आपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.––अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसने आपातकाल के दौरान सशस्त्र बल में कार्यग्रहण किया है और जिसे डिमोबीलाइज्ड आगर्ड फोर्सिज परसोलन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज़, 1972 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज)रूल्ज़, 1985 के नियम 3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और तद्धीन वरीयता लाभ दिए गए हों।

(ii) इसी प्रकार स्थायीकरण के सभी मामलों में ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक (पोषक) पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी:

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थायीकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

(घ) स्तम्भ संख्याः 12 के सामने विद्यमान अपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :–

''विभागीय प्रोन्नति समिति / विभागीय स्थायीकरण समिति, जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।''

(ङ) स्तम्भ संख्याः 17 के सामने विद्यमान उपबन्ध के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा, आर्थात्:–

''सेवा के प्रत्येक सदस्य को समय–समय पर यथा संशोधित हिमाचल प्रदेश विभागीय परीक्षा नियम, 1997 यथा विहित विभागीय परीक्षा उतीर्ण करनी होगी।''।

आदेश द्वारा,

जगदीश चन्द्र शर्मा,
प्रधान सचिव (लोक निर्माण)।

[Authoritative English text of this Department Notification No.PBW-A-A(3)-6/2018, Dated 11th June, 2020, as required under clause(3) of Article 348 of the Constitution of India].

PUBLIC WORKS DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 11th June, 2020

No. PBW-A-A(3)-6/2018.—In exercise of the powers conferred by proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor, Himachal Pradesh, in consultation with the Himachal Pradesh Public Service Commission, is pleased to make the following Rules, further to amend the Himachal Pradesh, Public Works Department, Assistant Engineer (Electrical), Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion Rules, 1996, notified *vide* this department notification No.PBW(A)-B(13)-39/94, dated 21-01-1997, namely:—

1. Short title and Commencement.—(i) These rules may be called the Himachal Pradesh Public Works Department, Assistant Engineer (Electrical), Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion (5th Amendment) Rules, 2020.

(ii) These rules shall come into force from the date of publication in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh.

2. Amendment of Annexure-"A".—In Annexure-"A" to the Himachal Pradesh Public Works Department, Assistant Engineer (Electrical), Class-I (Gazetted), Recruitment and Promotion, Rules, 1996 for the existing provisions against column No. 7, the following shall be substituted, namely:—

"(a) ESSENTIAL QUALIFICATION(S).—Must possess regular full time degree in Electrical Engineering or Electrical and Electronics Engineering from an Institute/University duly approved/recognized by the AICTE/UGC or AMIE enrolled upto on or before 31-5-2013 from Institute of Engineers (India) Calcutta.

(b) DESIREABLE QUALIFICATION(S).—Knowledge of costoms, manners and dialects of Himachal Pradesh and suitability for appointments in peculiar conditions prevailing in the Pradesh".

By order,

JAGDISH CHANDER SHARMA,
Principal Secretary (PW).

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 11 जून, 2020

संख्याःपी0बी0डब्ल्यू0–ए–ए–(3)–6 / 2018.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, इस विभाग की अधिसूचना संख्या पी0बी0डब्ल्यू0–(ए)–बी–(13)–39 / 94, तारीख 21 जनवरी, 1997 द्वारा अधिसूचित हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (विद्युत), वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 1996 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ**.––(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (विद्युत), वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति (पांचवा संशोधन) नियम, 2020 है।

2. ये नियम राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **उपाबन्ध ''क'' का संशोधन**.––हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, सहायक अभियन्ता (विद्युत), वर्ग–I (राजपत्रित) भर्ती एवं प्रोन्नति नियम, 1996 के उपाबन्ध ''क'' में,–

सतम्भ संख्या 7 के सामने विद्यमान उपबन्धों के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाएगा; अर्थात् :–

(क) अनिवार्य अर्हता(एं).––एआईसीटीई / युजीसी द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित / मान्यता प्राप्त संस्थान / विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक

इंजीनियरिंग में नियमित पूर्ण कालिक उपाधि रखता हो या इंजीनियरिंग संस्थान (भारत) कलकता से 31–5–2013 को या इससे पूर्व ए.एम.आई.ई. में नामांकित हो।

(ख) वांछनीय अर्हता(एं).––''हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता''।

आदेश द्वारा,

जगदीश चन्द्र शर्मा,
प्रधान सचिव (लोक निर्माण विभाग)।

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 06 ना0 तह0 वाचक उप–तहसील पुखरी 2020 / 256 तारीख दायरा : 04–06–2020

शीनम ठाकुर पुत्री श्री हेम राज, गांव ढलोगा, परगना धुन्धी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

विषय.––राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना–पत्र।

इश्तहार / मुस्त्री मुनादी :

शीनम ठाकुर पुत्री श्री हेम राज, गांव ढलोगा, परगना धुन्धी, तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन–पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा व मेरे पिता जी का नाम परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड, शिक्षा प्रमाण–पत्र में शीनम ठाकुर पुत्री श्री हेम राज दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त टिकरी महाल सरून्डा, उप–तहसील पुखरी में मेरा नाम सीनम कुमारी व मेरे पिता जी का नाम हिमो दर्ज है जो कि गलत है।

अतः प्रार्थिन का आवेदन–पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार / मुस्त्री मुनादी व चस्पानगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिन व उसके पिता के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन में इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थिन का नाम शीनम ठाकुर व उसके पिता जी का नाम श्री हेम राज दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त टिकरी को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 04–06–2020 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 04 ना0 तह0 वाचक उप–तहसील पुखरी 2020 / 256 तारीख दायरा : 04–06–2020

हेम सिंह पुत्र श्री नाथो राम, गांव कोहली, परगना धुन्धी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

विषय.––राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना–पत्र।

इश्तहार / मुस्त्री मुनादी :

हेम सिंह पुत्र श्री नाथो राम, गांव कोहली, परगना धुन्धी, तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन–पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा व मेरे पिता जी का नाम परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड, शिक्षा प्रमाण–पत्र में हेम सिंह पुत्र श्री नाथो राम दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त दुलाहर महाल धनोई, उप–तहसील पुखरी में मेरा नाम हेम राज व मेरे पिता जी का नाम नाथु राम दर्ज है जो कि गलत है।

अतः प्रार्थी का आवेदन–पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार / मुस्त्री मुनादी व चस्पानगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी व उसके पिता जी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम हेम सिंह व उसके पिता जी का नाम श्री नाथो राम दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त दुलाहर को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 04–06–2020 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

———————

ब अदालत नायब तहसीलदार व कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 05 ना0 तह0 वाचक उप–तहसील पुखरी 2020 / 256 तारीख दायरा : 04–06–2020

मोनू पुत्र श्री नाथो राम, गांव कोहली, परगना धुन्धी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . वादी।

बनाम

आम जनता . . प्रतिवादी।

विषय.––राजस्व कागजात माल में नाम दुरुस्ती करने बारे प्रार्थना–पत्र।

इश्तहार / मुस्त्री मुनादी :

मोनू पुत्र श्री नाथो राम, गांव कोहली, परगना धुन्धी, तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ने एक आवेदन–पत्र व ब्यान हल्फी पेश किया है कि मेरा व मेरे पिता जी का नाम परिवार रजिस्टर नकल, आधार कार्ड, शिक्षा प्रमाण–पत्र में मोनू पुत्र श्री नाथो राम दर्ज है जो बिल्कुल सही व दुरुस्त है परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त दुलाहर महाल धनोई, उप–तहसील पुखरी में मेरा नाम हेम राज व मेरे पिता जी का नाम नाथु राम दर्ज है जो कि गलत है।

अतः प्रार्थी का आवेदन–पत्र व ब्यान हल्फी स्वीकार करते हुए इस इश्तहार / मुस्त्री मुनादी व चस्पानगी द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थी व उसके पिता जी के नाम का इन्द्राज करने बारा किसी प्रकार का कोई उजर एवं एतराज हो तो वह असालतन व वकालतन में इस इश्तहार के प्रकाशन की तिथि उपरान्त एक माह के भीतर अपना उजर एवं एतराज पेश कर सकते हैं। बाद तारीख किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जाएगा व उक्त प्रार्थी का नाम मोनू व उसके पिता जी का नाम श्री नाथो राम दर्ज करने के आदेश पटवारी, पटवार वृत्त दुलाहर को पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 04–06–2020 को जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील पुखरी, जिला चम्बा, हि0 प्र0।

———————

In the Court of Shri Neeraj Gupta, Sub-Divisional Magistrate, Shimla (R), District Shimla (H. P.)

Sh. Salig Ram s/o Shri Tika Ram, r/o Village Shakrori, P.O. Chaba, Tehsil Sunni, District Shimla, Himachal Pradesh.

Versus

General Public . . *Respondent.*

Whereas Sh. Salig Ram s/o Shri Tika Ram, r/o Village Shakrori, P.O. Chaba, Tehsil Sunni, District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the correct date of birth of his own named—Sh. Salig Ram s/o Shri Tika Ram, r/o Village Shakrori, P.O. Chaba, Tehsil Suni, District Shimla, Himachal Pradesh in the record of Secy., Birth and Death, Gram Panchayat Shakrori, Tehsil Sunni District Shimla.

Sl. No.	Name of the family member	Relation	Date of Birth
1.	Salig Ram	Own	14-01-1962

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection/claim regarding to enter the correct date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Shakrori, Tehsil Sunni, District Shimla, may file their claims/objections on or before one month of publication of this notice in Govt. Gazette in this court, failing which necessary orders will be passed.

Issued today 21-01-2020 under my signature and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Sub-Divisional Magistrate,
Shimla (R), District Shimla (H.P.).

In the Court of Marriage Officer-cum-**Sub-Divisional Magistrate,**
Shimla (Urban)

In the matter of :

1. Mujeeb Husain aged about 42 years s/o Sh. Nazir Husain, r/o 70/1, The Mall Shimla, Ally No. 13, Shimla urban (T), District Shimla, Himachal Pradesh .

2. Vipasha Kashyap aged 34 years d/o Sh. C.R. Kashyap, r/o Mahavir Bhawan, Below Children Park Sanjauli, Shimla-6, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh . . *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.—Notice to intend marriage under section 5 of Special Marriage Act, 1954.

Mujeeb Husain aged about 42 years s/o Sh. Nazir Husain, r/o 70/1, The Mall Shimla, Ally No. 13, Shimla urban (T), District Shimla, Himachal Pradesh and Vipasha Kashyap aged 34 years d/o Sh. C.R. Kashyap, r/o Mahavir Bhawan, Below Children Park Sanjauli, Shimla-6, Tehsil & District Shimla, Himachal Pradesh have filed an application affidavits in the court of undersigned under section 5 of Special Marriage Act, 1954 and have intended to get married within three calendar months from the date hereof.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objections personally or in writing before this court on or before 30th June, 2020 from the date of this notice after that no objection will be entertained and marriage Shall be registered accordingly.

Issued today on 10th June, 2020 under my hand and seal of the court.

Seal.

NIRAJ CHANDLA (H.P.A.S.),
Special Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Shimla (Urban).

In the Court of Shri Dev Pal Chauhan, Executive Magistrate Sunni, Tehsil Sunni,
District Shimla (H. P.)

Smt. Kalavati w/o Sh. Leela Dass, r/o Village Shimloh. P.O. Reog, Tehsil Sunni, District Shimla, Himachal Pradesh . . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Whereas Smt. Kalavati w/o Sh. Leela Dass, r/o Village Shimloh. P.O. Reog, Tehsil Sunni, District Shimla, Himachal Pradesh has filed an application alongwith affidavit in the court of undersigned under section 13(3) of the Birth & Death Registration Act, 1969 to enter the date of

birth of applicant in the record of Secretary-*cum*-Registrar Birth and Death, Gram Panchayat Reog, Tehsil Sunni, District Shimla.

Sl. No.	Name of the Applicant	Relation	Date of Birth
1.	Smt. Kalavati	w/o Sh. Leela Dass	15-06-1963

Hence, this proclamation is issued to the general public if they have any objection regarding entry of the name & date of birth of above named in the record of Gram Panchayat Reog, may file their objections in writing in this court on or before 06-07-2020 failing which no objection will be entertained after expiry of date and necessary orders will be passed.

Given under my hand and seal of the Court on this 6th day of June, 2020.

Seal.

Sd/-

Excutive Magistrate,

Sunni, Tehsil Sunni, District Shimla, (H.P.).

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है